

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, बीसलपुर, (पीलीभीत)

परिवाद संख्या 993 / 2022

रूपेश कुमार

बनाम

रीना देवी आदि।।

थाना बीसलपुर, जिला पीलीभीत।

दिनांक: 25.04.2023

परिवाद पेश हुआ। पुकार कराई गयी। बार बार विभिन्न अंतरालों पर पुकार कराये जाने पर न तो परिवादी स्वयं उपस्थित है और न ही उसकी ओर से कोई प्रार्थना पत्र आदि ही प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादी विगत कई तिथियों से निरन्तर उपस्थित नहीं आ रहा है। जिस पर परिवादी की उपस्थिति एवं पैरवी हेतु पूर्व में अन्तिम अवसर भी प्रदान किया जा चुका है परन्तु उसके उपरान्त भी परिवादी न्यायालय उपस्थित नहीं आया। ऐसी स्थिति में परिवादी की उपस्थिति हेतु और अवसर दिया जाना विधियोचित नहीं है।

अतः परिवादी का परिवाद परिवादी की निरन्तर अनुपस्थिति एवं अदम पैरवी में निरस्त किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(आनन्द कुमार—द्वितीय)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
बीसलपुर, पीलीभीत।